

कमिश्नर बिक्र कर, यू.पी.

बनाम

मैसर्स हिन्द लैम्पस लिमि.

(सिविल अपील न. 4060/2006)

31 जुलाई, 2008

(न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत तथा न्यायमूर्ति पी. सतशिवम)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948; धारा 29, परन्तुक, स्पष्टीकरण 1 व 2- पुनर्भरण-धारा 29 के संदर्भ में विक्रेता द्वारा कर के रूप में देय राशियों में से कतिपय राशियों का समायोजन- अभिनिर्धारण: विक्रेता को स्वयं के स्तर पर किसी प्रकार का समायोजन का अधिकार प्राप्त नहीं। समायोजन की शक्ति अधिनियम के अर्न्तगत मूल्यांकन अधिकारी में निहित है।

प्रत्यर्थी/विक्रेता को माह अप्रैल, मई तथा अगस्त, 1977 में दाखिल कर विवरणी के सम्बन्ध में कर का भुगतान करना आवश्यक था। मूल्यांकन वर्ष 1969-70 से 1971-72 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा सहायक आयुक्त (न्यायिक) विक्रय कर के समक्ष अपील दायर की थी।

जिनकी अनुमित दी जाकर मामले को पुनर्विचारण हेतु पुनः निर्धारित प्राधिकारी को भेजा गया।

विक्रेता के अनुसार 1968-69, 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के लिए रूपये रु. 74,833/- रु. 95,506/-, रु. 1,35,66/- रु. 2,38,435/- की राशि का पुनर्भरण होना था। विक्रेता द्वारा उपरोक्त राशि को माह अप्रैल, मई तथा अगस्त 1977 हेतु देय कर राशि के रूप में समायोजित किया गया। किन्तु अंतिम मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा इस आधार पर क्रेडिट करने से इन्कार कर दिया गया कि इस प्रकार के समायोजन हेतु कोई प्रावधान नहीं है तथा विक्रेता स्वयं उसे पुनर्भरण की जाने योग्य राशि, यदि कोई हो तो, को समायोजित नहीं कर सकते हैं। नतीजन विलम्बित अदायगी हेतु ब्याज अधिरोपित किया गया। उक्त आदेश की पुष्टि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई। अपील में अधिकरण द्वारा मूल्यांकन प्राधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के मत की पुष्टि की गई। पुनरीक्षण के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि कर निर्धारिती द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 29 के संदर्भ में समायोजन किया जा सकता है।

हस्तगत न्यायालय के समक्ष अपील में राजस्व द्वारा तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 29 का

त्रुटिपूर्ण अर्थ निकाला गया है। अतः मूल्यांकन अधिकारी का मत, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा अधिकरण द्वारा की गई थी, के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था।

न्यायालय द्वारा अपील को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि:

1.1 उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्टतया त्रुटिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 29 के परन्तुक के पठन मात्र से जाहिर है कि राशि को पुनर्भरण योग्य पाते हुए पुनर्भरण किया जाना चाहिए था। किसी भी प्राधिकरण ने किसी भी राशि को पुनर्भरण योग्य नहीं पाया है। विक्रेता का मत है कि चूंकि मामले को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रिमाण्ड किया गया था, स्वीकृत कर से अधिक भुगतान की गई किसी भी राशि को पुनर्भरण योग्य माना जाना चाहिए। यह दलील स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। (पैरा 7)(599-ए, बी)

1.2 प्रयुक्त अभिव्यक्ति "वापसी योग्य पाई गई" है। अन्य शब्दों में उक्त राय किसी अधिनिर्णयन के परिणामस्वरूप होनी चाहिए। मौजूदा मामले में, ऐसा कोई अधिनिर्णयन नहीं है। अन्यथा भी, समायोजन की शक्ति कानूनी तौर पर प्राधिकरण में निहित है। पुनर्भरण देते वक्त पहले यह अभिनिर्धारण करना होगा कि क्या कोई ऐसी राशि है जिसे कर अथवा केन्द्रीय अधिनियम के तहत विक्रेता के खिलाफ बकाया अन्य राशियों के

खिलाफ समायोजन किया जाना है तथा शेष राशि वापस की जानी है। विक्रेता स्वयं अपने स्तर पर कोई समायोजन नहीं कर सकता है और निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 29 की उप धारा 1 के प्रावधानों के तहत कदापि समायोजन नहीं कर सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है। स्पष्टीकरण 1 इस स्थिति को और स्पष्ट करता है कि पुनर्भरण की दिनांक वह दिनांक मानी जाएगी जिस दिन रिफण्ड वाउचर तैयार करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना निर्धारित तरीके से विक्रेता को भेजी जाती है। जाहिर तौर से किसी कारण पुनर्भरण की दिनांक रिफण्ड वाउचर की तैयारी हेतु दी गई सूचना से सम्बन्धित है। स्पष्टीकरण 2 से परिलक्षित होता है कि प्रयुक्त "अभिव्यक्ति" रिफण्ड में वह समायोजन शामिल है जो कि उपधारा 1 के परन्तुक के अन्तर्गत अनुमेय हो। यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि जिस प्रक्रिया से पुनर्भरण दिया जाना है, वह अध्याय XV के नियम 89 व 90 वर्णित है। अतः इस कारण, उच्च न्यायालय का यह मत उचित नहीं था कि विक्रेता स्वयं राशि का समायोजन कर सकता है। (पैरा 8, 9) (599-बी, सी, डी, ई, एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4060/2006

वर्ष 1991 के बिक्री कर संशोधन पुनरीक्षण संख्या 149 में इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 24.07.2003 से।

कृष्णन बेणुगबोपाल, आरोही भल्ला, मनोज कुमार द्विवेदी, गुन्नम
वैकटेश्वर राव और कमलेंद्र मिश्रा वास्ते अपीलार्थी।

सी.एन.श्रीकुमार, कविन गुलाटी, रश्मि सिंह, अविनाश पाण्डे तथा
टी.महीपाल वास्ते उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा पारित
किया गया:

1. इस अपील द्वारा इलाहबाद उच्च न्यायालय की विद्वान एकल
न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें प्रत्यर्थी इसके द्वारा
निर्धारिती डीलर के रूप में संदर्भित है द्वारा दायर व्यापार कर संशोधन की
अनुमति दी गई हैं इसमें शामिल प्रश्न एक संकीर्ण दायरे में है कि क्या
डीलर कर जमा करवाते समय उसके द्वारा किसी अन्य मूल्यांकन अवधि
हेतु जमा करवाई गई अधिक रकम के आधार पर देय माना जाने वाली
कुछ रकम में से समायोजित कर सकता है। उच्च न्यायालय ने यह
अभिनिर्धारित किया है कि यू.पी- व्यापार कर अधिनियम 1948(संक्षेप में
'अधिनियम') तथा यू.पी. व्यापार कर नियम 1948 (संक्षेप में 'नियम') के
अनुसार इसकी अनुमति दी जा सकती है।

2. पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:

डीलर प्रत्यर्थी को अप्रैल, मई और अगस्त 1997 के महीनों के लिए दाखिल कर विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करना आवश्यक था। मूल्यांकन वर्षों अर्थात् 1969-70 से 1971-72 के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी द्वारा सहायक आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। सहायक अपीलीय आयुक्त, जिसकी अनुमति दी गई तथा मामले को पुनः विचारण हेतु निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष पुनः प्रेषित किया गया था। डीलर के अनुसार निम्नलिखित राशियों का पुनः भुगतान आवश्यक था:

1968-69 रु. 74,833/-

1969-70 रु. 95,506/-

1970-71 रु. 1,35,66/-

1971-72 रु. 2,38,435/-

डीलर द्वारा उपर्युक्त रकम को तीन महीने यानि अप्रैल, मई और अगस्त 1977 के सम्बन्ध में कर के रूप में देय रकम से समायोजित किया। लेकिन अंतिम मूल्यांकन कार्यवाही में, मूल्यांकन अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.02.1982 में रकम का क्रेडिट देने से इन्कार इस आधार पर कर दिया कि समायोजन के लिए कोई प्रावधान नहीं है और डीलर उसे पुनर्भरण की जाने वाली राशि, यदि कोई हो इसमें समायोजन नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप, देर से भुगतान के लिए ब्याज लगाया। आदेश

की पुष्टि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यानि डिप्टी कमिश्नर (अपील) बिक्री कर, आगरा द्वारा की गई थी। अपील में, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, आगरा, बेंच (3) (इसके बाद 'ट्रिब्यूनल के रूप में संदर्भित) ने मूल्यांकन अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के दृष्टिकोण की पुष्टि की।

3. डीलर द्वारा व्यापार कर पुनरीक्षण दायर कर मामले को आगे बढ़ाया और जिसका उपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में समायोजन करना निर्धारिती के लिए अनुमेय है।

4. राजस्व के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिकथन किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 29 में निहित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से गलत सम्प्रेक्षित किया गया है। अतः प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और ट्रिब्यूनल द्वारा पुष्टि किए गए मूल्यांकन अधिकारी के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था।

5. इसके ठीक विपरीत प्रतिवादी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि निर्धारिती पुनः भुगतान का हकदार है तथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों उसके द्वारा समायोजन नहीं किया जा सकता।

अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है:

"(1) मूल्यांकन प्राधिकारी, निर्धारित तरीके से, किसी डीलर को इस अधिनियम के तहत देय राशि से अधिक भुगतान किए गए कर, शुल्क और अन्य किसी भी राशि को वापस कर देगा। बशर्ते कि वापसी योग्य पाई गई राशि को पहले इस अधिनियम के तहत या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत डीलर के खिलाफ बकाया कर या किसी अन्य राशि में समायोजित किया जाएगा और केवल शेष राशि, यदि कोई हो, वापस की जाएगी:

(2) यदि उप-धारा (1) के अनुसार वापसी योग्य पाई गई राशि का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित धन वापसी के आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर या, जैसा भी मामला हो, तारीख से तीन महीने के भीतर वापस नहीं की जाती है। रिफंड के आदेश की उसके द्वारा प्राप्ति पर, यदि ऐसा आदेश किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, तो डीलर ऐसे आदेश की तारीख से अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ऐसी राशि पर साधारण ब्याज का हकदार होगा या, जैसा भी मामला हो, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित रिफंड के ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से लेकर रिफंड की तारीख तक।

स्पष्टीकरण-1

रिफंड की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिस दिन रिफंड वाउचर तैयार करने के संबंध में डीलर को निर्धारित तरीके से सूचना भेजी जाती है।

स्पष्टीकरण-2

अभिव्यक्त 'रिफंड' में उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत कोई भी समयोजन शामिल है।"

6. उच्च न्यायालय ने धारा 29 की उप-धारा (1) के प्रावधान का हवाला देते हुए यह अभिर्धारित किया कि वापसी योग्य पाई गई राशि को पहले कर या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'केन्द्रीय अधिनियम) के तहत डीलर के खिलाफ बकाया किसी अन्य राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

7. उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण था। उल्लेखित परन्तुक को पढ़ने मात्र से स्पष्ट है कि राशि को पुनर्भरण माना जाना चाहिए था। डीलर का रुख यह है कि चूंकि मामला अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः प्रेषित किया गया था इसलिए स्वीकृत कर से अधिक भुगतान की गई किसी भी राशि को पुनर्भरण योग्य माना जावेगा। यह दलील स्पष्ट रूप से मानने योग्य नहीं है।

8. प्रयुक्त अभिव्यक्ति "वापसी योग्य पाई गई" है। अन्य शब्दों में उक्त राय किसी अधिनिर्णयन के परिणामस्वरूप होनी चाहिए। मौजूदा मामले में, ऐसा कोई अधिनिर्णयन नहीं है। अन्यथा भी, समायोजन की शक्ति कानूनी तौर पर प्राधिकरण में निहित है। पुनर्भरण देते वक्त पहले यह अभिनिर्धारण करना होगा कि क्या कोई ऐसी राशि है जिसे कर अथवा केन्द्रीय अधिनियम के तहत विक्रेता के खिलाफ बकाया अन्य राशियों के खिलाफ समायोजन किया जाना है तथा शेष राशि वापस की जानी है। विक्रेता स्वयं अपने स्तर पर कोई समायोजन नहीं कर सकता है और निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 29 की उप धारा 1 के प्रावधानों के तहत कदापि समायोजन नहीं कर सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है। स्पष्टीकरण 1 इस स्थिति को और स्पष्ट करता है कि पुनर्भरण की दिनांक वह दिनांक मानी जाएगी जिस दिन रिफण्ड वाउचर तैयार करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना निर्धारित तरीके से विक्रेता को भेजी जाती है। जाहिर तौर से किसी कारण पुनर्भरण की दिनांक रिफण्ड वाउचर की तैयारी हेतु दी गई सूचना से सम्बन्धित है। स्पष्टीकरण 2 से परिलक्षित होता है कि प्रयुक्त अभिव्यक्ति रिफण्ड में वह समायोजन शामिल है जो कि उपधारा 1 के परन्तुक के अन्तर्गत अनुमेय हो। यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि जिस प्रक्रिया से पुनर्भरण दिया जाना है, वह अध्याय XV के नियम 89 व 90 वर्णित है।

9. अतः न्यायालय का यह मत न्यायोचित नहीं था कि डीलर स्वयं की राशि का समायोजन कर सकता है।

10. अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील स्वीकार किए जाने योग्य होने से स्वीकार करने हेतु निर्देश दिया जाता है। वाद लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया जावेगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी वैदेही सिंह चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।